न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला—दौसा

प्रकरण संख्या 17/2023
प्रकरण रज्जु दिनांक 19.5.2023
निर्णय दिनांक 16.8.2023

प्रकरण :— वास्ते 128 एल.आर.एक्ट पत्थरगढी हेतु

प्रकरण का उनवान

1. दीनदयाल पुत्र रामजीलाल जाति ब्राहमण नि.बेधाडी गूजरान तह.बसवा
2. बाबूलाल पुत्र रामजीलाल जाति ब्राहमण नि. बेधाडी गूजरान तह.बसवा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बसवा तह.बसवा
2.शिवलाल पुत्र हरसहाय गुर्जर निवासी बेधाडी गुजरान तह.बसवा
3.रामफूल पुत्र सोन्या गुर्जर निवासी बेधाडी गूजरान तह.बसवा
4.शांति देवी पत्नी जगदीश प्रसाद गुर्जर निवासी बेधाडी गुजरान

(अप्रार्थीगण)

—: निर्णय :—

दिनांक :— 16.8.2023

उपस्थिति :— प्रार्थीगण की ओर से एडवाकेट श्री पूरणमल एवं श्री विश्राम दयाल

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने इस आशय का एक प्रा:पत्र अंतर्गत धारा 128 एलआर एक्ट वास्ते पत्थरगढी हेतु पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 1063 पुराना 104 के खसरा नंबर 1310/1430 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नंबर 304 रकबा 1.19 हैक्टयर, खसरा नंबर 305 रकबा 0.01 हैक्टयर, 306 रकबा 0.09 हैक्टयर कुल खसरा नंबर 4 कुल रकबा 1.48 हैक्टयर रामा बेधाडी गूजरान में काश्तकार खातेदार हैं । दिनांक 20.6.2022 को खाता संख्या नया 103 पुराना 104 के खसरा नंबर 1310/1430 रकबा 0.19 हैक्टयर भूमि का सीमाज्ञान प्रार्थीगण की उपसिथति में किया जा चुका है एवं मौका पर्चा भी बनाया गया जो कि संलग्न है । प्रार्थीगण खसरा नंबर 1310/1430 रकबा 0.19 हैक्टयर भूमि को सुधार करवाकर भूमि के चारों और मेडबंदी व तारो से फेंसिंग करवाना चाहता है अतः भूमि की पत्थरगढी करवाई जावे ।

प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय हाजा में पेश होने पर, प्रकरण को नियमानुसार रजिस्टर में दर्ज कर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये ।

अप्रार्थीगण संख्या 2, 3 एवं 4 बाद रजिस्टर्ड नोटिसों की तामीलों के उपरांत भी न्यायालय हाजा के सम्मुख ना तो उपस्थित आए एव ना ही उनकी तरफ से कोई दस्तावेज/जवाब पेश किया गया । लिहाजा ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 2, 3 एवं 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार एवं तहसीलदार बसवा की ओर से भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप में जमाबंदी संख्या खाता संख्या 103 बेधाडीगूजरान का अवलोकन किया गया । प्रार्थीगण द्वारा उनके दावें के समर्थन में दिनांक 20.6.2022 को किये गये सीमाज्ञान का मौका पर्चा की सत्यापित प्रति भी पेश की है । मुताबिक दिनांक 20.6.2022 के मौका पर्चा अनुसार अंकन किया गया है कि "आज दिनांक 20.6.2022 को श्रीमान् उप तहसीलदार महोदय बडियालकला के आदेश कमांक भू.अ./2022/483 दिनांक 25.5.2022 की पालना में ग्राम बेधाडी गूजरान के आराजी खसरा नंबर 1310/1420 रकबा 0.19 हैक्टयर के सीमाज्ञान हेतु मौके पर पहुँचे । सर्वप्रथम नक्शे का मौके से मिलान किया गया जो कि सही पाया गया खसरा नंबर 1310/1420 के सीमाज्ञान हेतु गै.मु.चाह के खसरा नंबर 1273 एवं 1294 का मौके पर मिलान की सभी भुजाओं को उक्त मुस्तकिल बिन्दु से सभी कौने कायम कर खातेदार की उपस्थिति में निशानात लगवाये गये । जिससे खातेदार सहमत हैं ।"

अतः प्रकरण के समग्र अवलोकन से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि प्रार्थीगण खातेदार अंकित खसरा नंबर 1310/1420 रकबा 0.19 हैक्टयर ग्राम बेधाडी गूजरान के काश्तकार खातेदार हैं एवं भूमि का दिनांक 20.6.2022 को तहसीलदार बसवा के निर्देशानुसार सीमाज्ञान भी करवाया जा चुका है ।

लिहाजा आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार बसवा ग्राम बेधाडी गूजरान के खाता संख्या 1310/1420 रकबा 0.19 हैक्टयर भूमि का नियमानुसार पत्थरगढी करवावें एवं यदि शांति व्यवस्था के लिहाज से पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान पुलिस इमदाद अपेक्षित हो तो संबंधित थानाधिकारी से वांछित पुलिस इमदाद लिया जाना सुनिश्चित करें ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(डॉ.नवनीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,बसवा
जिला-दौसा